न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
47 / 18	एफएसएस एक्ट, 2006	04 / 07 / 2018

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. देवेन्द कुमार पुत्र मनोहर लाल गुप्ता (फर्म मालिक एवं मौके पर विकेता) निवासी नागाओं की छावनी कल्याण जी गेट गंगापुर सिटी मैसर्स देवेन्द्र कुमार गुप्ता नागाओं की छावनी कल्याण जी गेट गंगापुर सिटी ।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय दिनांक 01/05/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 04/05/2017 को समय 02:00 पी0एम0 पर मैसर्स देवेन्द्र कुमार गुप्ता नागाओ की छावनी कल्याण जी गेट गंगापुर सिटी पर पहुॅचा । वहां विकेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया विकय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ नमकीन (शिवा) 400 ग्राम के लगभग 250 पोली पैक दुकान में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन (शिवा) 400 ग्राम के 4 पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 280/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ नमकीन (शिवा) का बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूॅचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय , कार्यालय मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक ,कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2017/2361 दिनांक 24.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 331/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/338 दिनांक 18/05/2017 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (शिवा) 400 ग्राम मिसब्राण्ड पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 331/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/ 2017/338 दिनांक 18/05/2017 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ नमकीन (शिवा) का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।अभियुक्तगण ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्त ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा पॉली पैक नमकीन विक्रय की जाती है उसमें मिसब्राण्ड जैसी कोई बात नहीं है। प्रार्थी को परेशान करने के लिए गलत प्रकार से मिसब्राण्ड बताया गया है। आवेदक द्वारा खाली पेपरों पर मेरे हस्ताक्षर लेकर उनका दुरूपयोग किया है। अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है तथा उक्त कार्य कर अपने परिवार का पेट पालन करता है। अभियुक्त के पास अन्य कोई व्यवसाय नहीं है। अभियुक्त द्वारा उक्त कार्य बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है, साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। सा ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 331/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट 2017/338 दिनांक 18/05/2017 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमू जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (शिवा) 400 ग्राम मिसब्राण्ड का निर्माण व विक्रय करने का द पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को 5000 (पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 01/05/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अति. गंगापुर सिटी मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी